



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ "राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सहारनपुर पुलिस द्वारा RUN FOR UNITY का भव्य आयोजन"*

* ➡ □ आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को भारत के लौह पुरुष, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सहारनपुर जनपद में राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) बड़े उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया। रिजर्व पुलिस लाइन्स, सहारनपुर से भव्य RUN FOR UNITY (एकता दौड़) कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में एकता, अखण्डता एवं राष्ट्रप्रेम की भावना को सशक्त करना रहा।*

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः कालीन समय में श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा फ्लैग ऑफ कर किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षकगण, एवं जनपद के अन्य पुलिस अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में कर्मियों की उपस्थिति रही।

RUN FOR UNITY कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न वर्गों से लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, रिट्रूट आरक्षी, अन्य विभागों के कर्मचारी, विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ, मीडिया प्रतिनिधि, एवं जनपद के विभिन्न खेल संघों से जुड़े खिलाड़ी शामिल रहे। सभी प्रतिभागियों ने एकता दौड़ में पूरे जोश और अनुशासन के साथ भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

कार्यक्रम के आरंभ में अधिकारियों द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तत्पश्चात सभी उपस्थितजनों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। शपथ के माध्यम से सभी ने भारत की एकता, अखण्डता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने, तथा देश की विविधता में एकता के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र एव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और प्रशासनिक कुशलता से भारत की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र की एकता और अखण्डता की नींव रखी। उनके योगदान के प्रति यह आयोजन राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करते हुए देश की अखण्डता, एकता और सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए।

RUN FOR UNITY के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने जोशपूर्ण वातावरण में भारत माता की जय एवं एकता अमर रहे के नारों के साथ राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ किया गया।

पूरा आयोजन देशभक्ति, अनुशासन और सौहार्द की भावना से परिपूर्ण रहा। सहारनपुर पुलिस द्वारा इस आयोजन के माध्यम से सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों और राष्ट्रीय एकता के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया गया।



-प्रेस नोट-
“ऑपरेशन सवेरा”

दिनांक- 31.10.2025



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत – सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
थाना बेहट पुलिस की कार्यवाही में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा
तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है। व शासन द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस की कार्यवाही में गश्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त जयद्रथ उर्फ जेद्धा पुत्र लक्ष्मीचन्द नि0 मौ0 खालसा कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर को कादरपुर रोड पर बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0 511/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

जयद्रथ पुत्र लक्ष्मीचन्द नि0 मौ0 खालसा कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जयद्रथ

1. मु0अ0सं0- 505/25 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 397/15 धारा- 60/63/72 आबकारी अधिनियम व 420 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 120/22 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 253/25 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 201/15 धारा- 60/62 आब0 अधि0 व 272/273/420 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 150 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री महेश चन्द्र थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1058 राहुल राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. है0का0 448 शिवकुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध असलाह रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31.10.2025 को एक शातिर अभियुक्त **तनवीर पुत्र ताहिर निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी, कस्बा व थाना बेहट, जनपद सहारनपुर** को शाकुम्भरी रोड पर बाग के पास से एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर **मु0अ0सं0 510/25, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

तनवीर पुत्र ताहिर निवासी मौ0 इन्द्रा कालोनी, कस्बा व थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त तनवीर का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 510/25 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
2. मु0अ0सं0- 32/18 धारा- 379/411 भा0द0वि0 व 41/42/52 वन अधि0 थाना बेहट
3. मु0अ0सं0- 205/19 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
4. मु0अ0सं0- 167/20 धारा- 379 भा0द0वि0 थाना बेहट
5. मु0अ0सं0- 171/20 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट
6. मु0अ0सं0- 24/22 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
7. मु0अ0सं0- 243/22 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना बेहट
8. मु0अ0सं0- 385/22 धारा- 379/411 भा0द0वि0 थाना बेहट
9. मु0अ0सं0- 447/22 धारा- 380/411/457 भा0द0वि0 थाना बेहट
10. मु0अ0सं0- 510/22 धारा- 380/411 भा0द0वि0 थाना बेहट
11. मु0अ0सं0- 61/23 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बेहट
12. मु0अ0सं0- 81/24 धारा- 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेश चन्द्र, थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1058 राहुल राणा, थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 448 शिवकुमार, थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

5. का0 1802 बिडू कुमार, थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी पीडित की शत-प्रतिशत धनराशि कुल 1,05,000/- रुपये पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 24.10.2025 को पीडित राधेलाल पुत्र रामलाल निवासी ग्राम फतेहपुर कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा साइबर फ्राड करके पीडित के खाते से कुल 1,05,000/- रुपये की ठगी कर लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत सं० 23110250168493 दर्ज करायी थी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा दिनांक 24.10.2025 को साइबर शिकायत संख्या 23110250168493 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित राधेलाल उपरोक्त के साइबर फ्रॉड में ठगी गयी राशि में से 77,435/- रुपये की धनराशि बैंक के माध्यम से होल्ड करायी गयी थी।

इसी क्रम में उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.10.2025 को पीडित राधेलाल उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी राशि में से कुल 26,500/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी थी तथा आज दिनांक 31.10.2025 को शेष धनराशि 78,500/- वापस पीडित के खाते में वापस करायी। पीडित की गयी कुल राशी 1,05,000 रुपये शत प्रतिशत वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर फतेहपुर पुलिस का आभार प्रकट किया।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर सोनम थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हे०का० 605 भुपेन्द्र मान थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. म०का० 813 सुरेखा थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 31.10.2025

□ थाना फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही — धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार □

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना फतेहपुर पुलिस ने एक शातिर ठग को दबोचने में सफलता प्राप्त की है।

□ घटना का विवरण:

दिनांक **03.07.2025** को वादिया मुनीसा पत्नी रिजवान निवासी मदीना मस्जिद, छुटमलपुर, थाना फतेहपुर द्वारा थाना उपस्थित होकर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्तगण — 1.मूसा सिद्दीकी पुत्र नामालूम, पता नामालूम 2.मोहम्मद फैजान पुत्र मोहम्मद असगर निवासी आली की चुंगी, पीर वाली गली नं० 13, थाना मण्डी 3.निसार पुत्र अब्दुल रहमान निवासी हलवाना रोड, कस्बा छुटमलपुर 4.मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद नाजिर निवासी मेहमान सराय, नखासा बाजार 5.आजम पुत्र नामालूम निवासी कमालपुर रोड, छुटमलपुर 6.नावेद प्रधान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नौसरहेड़ी द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लॉट दिलाने के नाम पर वादिया से रुपये हड़पने तथा रुपये/प्लॉट वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गयी थी।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर **मु०अ०सं० 138/25**, धारा **420/406/506/467/468/471 भा०द०वि०** पंजीकृत किया गया था।

□ ♂ □ पुलिस की तत्परता:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक **31.10.2025** को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद नाजिर निवासी नखासा बाजार, मेहमान सराय, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद नाजिर निवासी नखासा बाजार, मेहमान सराय, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर

□ ♀ □ गिरफ्तारी करने वाली टीम:

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा, थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० अनिल तेवतिया, थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. है०का० सुनील कुमार (नं० 24), थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चोरी की तीन अलग-अलग घटनाओं का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 19,700/- रू0 नकद व पीली/सफेद धातु के आभूषण बरामद

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 29.07.2025 को वादी श्री इनाम पुत्र फुरकान निवासी मौ0 सौलाल थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से एक लाख पचास हजार रुपये व सोने व चाँदी के जेवर चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 173/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया

दिनांक 13.10.2025 को वादी श्री प्रवीण कुमार सेठ पुत्र श्री लीलाधारी सेठ नि0 वर्धमान कालौनी थाना को0 देहात स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय ग्राम चालाकपुर से दो बैटरे व एक इन्वर्टर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 275/25 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 28.10.2025 को वादी श्री माँगेराम पुत्र कृष्णचन्द निवासी ग्राम चालाकपुर थाना चिलकाना स0पुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर से 39,500/ रू0 नगद व सोने चाँदी के जेवर चोरी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 299/25 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण:

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में घटनाओं के अनावरण व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.10.2025 को थाना चिलकाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि व्यक्ति ने दिनांक 28/07/2025 की रात को मौ0 शौलाल कस्बा सुल्तानपुर तथा दिनांक 12/10/25 तथा 27/10/205 को ग्राम चालाकपुर में जो चोरी की घटनायें हुई थी उनको करने वाला व्यक्ति कही जाने की फिराक में अहाडी जाने वाले रास्ते पर खडा है। अगर जल्दी की जायेगी तो पकडा जा सकता है सूचना पर तत्काल थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान अहाडी रोड पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नीरज कुमार पुत्र लोकेश कुमार मूल निवासी ग्राम भसानी थाना थानाभवन जिला शामली तथा हाल पता SBI बैंक के पास ललित का मकान मौ0 गढी थाना व कस्बा चिलकाना जनपद सहारनपुर चिलकाना जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 299/25 धारा 305(1) बीएनएस में चोरी गये 18,000/- रू0 व (01 नोज पिन पीली धातु, 01 अंगूठी जनानी पीली धातु व 01 जोडी कान की झुमकी पीली धातु व 01 मंगलसूत्र सफेद धातु, 01 जोडी बच्चों कडे सफेद

धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 02 राखी सफेद धातु व 01 बिछुआ सफेद धातु का व मु0अ0सं0 275/25 धारा 305(1) बीएनएस मे चोरी गये बैटरे व इन्वर्टर को बेचकर प्राप्त किये 1700/- रू0 बरामद किये) उक्त बरामदगी के अलावा अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान मौ0 सौलाल कस्बा चिलकाना से दिनांक 29.07.25 को इनाम पुत्र फरमान के घर से एक लाख पचास हजार रू0 व सोने चाँदी के जेवर चोरी करना बताया है जिनको अभियुक्त द्वारा राह चलते व्यक्ति को बेचकर प्राप्त किये पैसे खर्च कर लेना बताया है। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 299/25 व मु0अ0सं0 275/25 मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैंने दिनांक 28/07/2025 की रात को मौ0 शौलाल कस्बा सुल्तानपुर से एक घर से एक लाख पचास हजार रुपये तथा कुछ जेबरात चोरी किये थे तथा उन जेबरात को मैंने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था तथा उस चोरी से मिले एक लाख पचास हजार रुपये व जेवर बेच कर मिले रूपयों को मैंने खर्च कर दिया तथा दिनांक 12/10/2025 की रात को मैंने प्रा0 विद्यालय चालाकपुर में से 02 बैटरा तथा एक इनबर्टर चोरी किया था उसको भी मैंने राह चलते कबाड खरीदने वाले व्यक्ति को 2000 रुपये में बेच दिया था जिसके 300 रुपये मुझ से खर्च हो गये है तथा बचे 1700 रुपये भी इन्ही रूपयों में शामिल है व दिनांक 27.10.25 को ग्राम चालाकपुर के मांगेराम के घर से मैंने चोरी की थी जिसमे मुझे 39/-500 रू0 व सोने चाँदी के जेवरात मिले थे जिन्हे मैं बैचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

अभियुक्त का नाम पता:-

नीरज कुमार पुत्र लोकेश कुमार मूल निवासी ग्राम भसानी थाना थानाभवन जिला शामली तथा हाल पता SBI बैंक के पास ललित का मकान मौ0 गढी थाना व कस्बा चिलकाना जनपद सहारनपुर चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 18,000/- रुपये नकद (मु0अ0सं0 299/2025 धारा 305(ए) बीएनएस मे चोरी किये)
- 01 नोज पिन पीली धातु, 01 अंगूठी जनानी पीली धातु, 01 जोड़ी कान की झुमकी पीली धातु, 01 मंगलसूत्र सफेद धातु, 01 जोड़ी बच्चों कडे सफेद धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 02 राखी सफेद धातु व 01 बिछुआ सफेद धातु (मु0अ0सं0 299/2025 धारा 305(ए) बीएनएस मे चोरी किये)
- 1700/- रुपये नकद (मु0अ0सं0 - 275/25 धारा 305(1) बीएनएस मे चोरी किये)

अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 299/25 मे धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना चिलकाना जनपद स0पुर
2. मु0अ0सं0 275/25 मे धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस थाना चिलकाना जनपद स0पुर
3. मु0अ0सं0 173/25 धारा 305(ए) बीएनएस थाना चिलकाना जनपद स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्याम सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 892 अजय राठी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 4- का0 1059 अनुज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

- 5- का0 1551 अमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 6- का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
- 7- का0 1815 विशाल यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **सलमान पुत्र सुलतान नि0 छाबडा कालोनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को मानकमऊ नहर पटरी पर बड़ी चौकी मानकमऊ की तरफ थरौली जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12 बोतल देशी अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 444/2025 धारा 63 आबकारी वाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान पुत्र सुलतान नि0 छाबडा कालोनी मानकमऊ थाना कु0शेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 कुलवन्त सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.10.2025 को वादी की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त अलीशान पुत्र इकराम निवासी इलाई मस्जिद के पास खाता खेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 441/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 7/8 पाकसों एक्ट की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर-प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त अलीशान पुत्र इकराम निवासी इलाई मस्जिद के पास खाता खेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अलीशान पुत्र इकराम निवासी इलाई मस्जिद के पास खाता खेडा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 22 पाऊच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **साजेब पुत्र गुलजार निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को भैंसों की डेरी के सामने नाला से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 22 पाऊच देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 242/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम साजेब उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साजेब पुत्र गुलजार निवासी एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

22 पाऊच अवैध देशी शराब महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 306 सोनू कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 2507 अंकित कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



दिनांक 31.10.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 21 पच्चे टैट्रा पैक पाऊच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **आसिफ पुत्र कलीम निवासी गीतांजली विहार काली के मन्दिर के पास थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को नगर निगम के पीछे नूरबस्ती सरकारी ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध 21 पच्चे टैट्रा पैक देशी शराब अंगूरी मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 243/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आसिफ पुत्र कलीम निवासी गीतांजली विहार काली के मन्दिर के पास थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

अवैध 21 पच्चे टैट्रा पैक देशी शराब अंगूरी मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ0नि0 श्री राजकमल थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. उ0नि0 श्री रचित यादव थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
6. है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.10.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अवैध चाकू रखने वाले 01 शातिर अभियुक्त **बाबर पुत्र फिरोज निवासी मौहल्ला ढोलीखाल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को पुल खुमरान निकट कुडाघर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-245/25 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बाबर पुत्र फिरोज निवासी मौहल्ला ढोलीखाल थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0019/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर स0पुर
2. मु0अ0सं0 87/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर स0पुर
3. मु0अ0सं0 477/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर स0पुर

बरामदगी का विवरण -

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. का0 2546 नवीत कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.10.2025

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अवैध चाकू रखने वाले 01 शातिर अभियुक्त **शाहरुख पुत्र फिरोज नि0 नाजिर पुरा थाना को0देहात स0पुर** को बिजली घर के पीछे ट्रांसफार्मर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मुअ0सं00-246/25 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहरुख पुत्र फिरोज नि0 नाजिर पुरा थाना को0देहात सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 0041/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर स0पुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. का0 1438 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 31.10.2025

□ थाना कोतवाली नगर पुलिस की मिशन शक्ति टीम की प्रभावी कार्यवाही — महिलाओं पर फब्तियां कसने वाला मनचला गिरफ्तार □□♀□

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुदृढ़ करने हेतु मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला अपराधों की रोकथाम व मनचलों के विरुद्ध सघन चेकिंग एवं गश्त अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में, थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम ने दिनांक 31.10.2025 को सराहनीय कार्यवाही करते हुए मटियामहल आर्य कन्या इंटर कॉलेज के पास महिलाओं व युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने वाले एक मनचले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 244/25, धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। □

□ गिरफ्तार अभियुक्त:

गुलशान पुत्र गुलफाम निवासी 62 फुटा रोड, थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर

□♀□ गिरफ्तारी करने वाली मिशन शक्ति पुलिस टीम:

1 □ उ0नि0 मान सिंह, थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

2 □ म0का0 मोना (1951), थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर



दिनांक: 31.10.2025

थाना तीतरों, जनपद सहारनपुर

➡️ मिशन शक्ति, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह एवं नये आपराधिक कानूनों पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना तीतरों पुलिस द्वारा कस्बा तीतरों के मुख्य बाजार, बस अड्डा एवं विद्यालयों के आसपास महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार (थाना प्रभारी तीतरों) के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

इस दौरान एंटी रोमियो प्रभारी का० मानवती व का० रिंकी द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति फेज 5.0, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह तथा नये आपराधिक कानूनों –

- 1 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
- 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
- 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)

के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

टीम द्वारा बताया गया कि Zero FIR एवं E-FIR जैसी नई व्यवस्थाएँ नागरिकों की सुविधा हेतु लागू की गई हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में आसानी से रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।

महिलाओं को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड कॉल, फर्जी लिंक, साइबर ठगी आदि से बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई —

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – महिला पावर लाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं व मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही पंपलेट वितरित कर नये कानूनों, साइबर सुरक्षा व महिला सुरक्षा से संबंधित जानकारी भी दी गई।



दिनांक: 31.10.2025

➡ □ आज दिनांक 31.10.2025 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अंतर्गत RUN FOR UNITY का अपने क्षेत्र में आयोजन किया गया।

➡ □ इस एकता दौड़ में पुलिसकर्मी, अन्य विभागों के कर्मचारी, विद्यालय/महाविद्यालय के छात्र-छात्राएँ बड़ी संख्या में शामिल हुए।

➡ □ सभी प्रतिभागियों ने उत्साह और अनुशासन के साथ दौड़ में भाग लेकर देश की एकता, अखण्डता और समरसता का संदेश दिया।



दिनांक: 31.10.2025

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना नागल पुलिस द्वारा “Run for Unity” कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में थाना क्षेत्र नागल के 06 विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ, विद्यालय प्रबन्धन, कस्बा नागल व्यापार मण्डल के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यगण, संभ्रांत नागरिक, चिकित्सकगण तथा ग्राम प्रधानगण ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान द्वारा प्रातः 07:00 बजे हरी झण्डी दिखाकर दौड़ का शुभारम्भ किया गया, जो कस्बा नागल के मुख्य मार्गों से होकर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक संपन्न हुई।

कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को फलाहार एवं जलपान वितरित किया गया। इस अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल के देश की एकता, अखण्डता एवं समरसता में अमूल्य योगदान से सभी को अवगत कराया गया।

साथ ही उपस्थित पुलिसकर्मियों, आमजनमानस एवं विद्यार्थियों को साइबर जागरूकता, नवीन कानूनों के महत्व तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारियों से भी जागरूक किया गया।

|



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा “Run for Unity” कार्यक्रम का आयोजन किया गया।*

* ➡ □ कार्यक्रम में थाना देवबन्द पुलिस ने प्रातः 07:00 बजे एकता दिवस के अवसर पर दौड़ का शुभारम्भ किया गया, जिसमें छात्र-छात्रा व थाना देवबन्द पुलिस ने प्रतिभाग किया गया।*

* ➡ □ इसके साथ ही उपस्थित पुलिसकर्मियों, आमजनमानस एवं विद्यार्थियों को साइबर जागरूकता, नवीन कानूनों के महत्व तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारियों से भी जागरूक किया गया।*



दिनांक: 31.10.2025

“मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को सुरक्षा व नये कानूनों के प्रति किया गया जागरूक”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना सदर बाजार मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित Run for Unity कार्यक्रम में भाग लेने वाली स्कूली छात्राओं तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान टीम द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर अपराध से बचाव तथा नवीन कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।

महिलाओं को विभिन्न पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख हैं —

- 1090 – वूमैन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

टीम द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी सहायता के साधनों के बारे में विस्तार से बताया गया, साथ ही पंपलेट वितरण किए गए तथा ऑटो-रिक्शा एवं सार्वजनिक वाहनों पर सुरक्षा संबंधी स्टिकर चिपकाए गए।

इस अवसर पर टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुना गया तथा उन्हें भरोसा दिलाया गया कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चलाया गया यह जन-जागरूकता अभियान महिला सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय कदम है।



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ “मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं को नये कानूनों और सुरक्षा उपायों के प्रति किया गया जागरूक”*

* ➡ □ आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना कुतुबशेर, जनपद सहारनपुर की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित Run For Unity कार्यक्रम में भाग लेने वाली स्कूली छात्राओं सहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।*

कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिस टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं छात्राओं को सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर अपराध से बचाव तथा नवीन कानूनों —

➡ □ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS 2023)

➡ □ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS 2023)

➡ □ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhinyam - BSA 2023)

से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई।

महिलाओं एवं छात्राओं को विभिन्न पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिनमें शामिल हैं —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

* ➡ टीम द्वारा महिला सुरक्षा संबंधी पंपलेट वितरित किए गए तथा साथ ही उपस्थित महिलाओं से उनकी समस्याएँ एवं सुझाव भी सुने गए। टीम ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा, सम्मान एवं सहयोग के लिए तत्पर है।*

* ➡ थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी जागरूकता की दिशा में एक प्रभावी कदम है।*



दिनांक: 31.10.2025

“मिशन शक्ति फेस 5.0 एवं नए कानूनों की जानकारी के साथ थाना सरसावा पुलिस द्वारा महिलाओं को साइबर सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत एक साइबर अपराध सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

यह अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक देहात महोदय के कुशल नेतृत्व में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के निर्देशन में आयोजित हुआ।

इस अवसर पर महिला हेड कांस्टेबल कविता मलिक, महिला कांस्टेबल अलका कसाना एवं महिला कांस्टेबल विनीता द्वारा कस्बा सरसावा के मेन मार्केट, बस अड्डा एवं विद्यालयों के आसपास आने-जाने वाली महिलाओं एवं छात्राओं को मिशन शक्ति 5.0, साइबर अपराधों, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल ठगी एवं सोशल मीडिया सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं।

महिलाओं को सरकार द्वारा जारी प्रमुख हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया —

□ 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन

- 1090 – वूमैन पावर हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही उपस्थितजनों को हाल ही में लागू हुए नए कानूनों —

- ➔ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)
- ➔ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)
- ➔ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी गई एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पंपलेट वितरित किए गए, महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं, एवं उनका निस्तारण किया गया। टीम ने महिलाओं से अपील की कि वे सतर्क रहें, किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।



दिनांक: 31.10.2025

“मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत थाना तीतरों पुलिस द्वारा महिलाओं को नए कानूनों व साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना तीतरों, जनपद सहारनपुर की टीम द्वारा मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत साइबर अपराध सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कस्बा तीतरों के मेन मार्केट, बस अड्डा तथा विद्यालयों के आसपास आने-जाने वाली महिलाओं एवं छात्राओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, और डिजिटल सुरक्षा से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ दी गईं।

महिलाओं को सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन
- 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन

साथ ही महिलाओं को नए कानूनों —

➡ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)

➡ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)

➡ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

के बारे में जानकारी दी गई, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें और किसी भी आपात स्थिति में सही कानूनी कदम उठा सकें।

कार्यक्रम में पंपलेट वितरित किए गए, महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं एवं उनका निस्तारण भी किया गया।



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

“थाना देवबंद पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को नए कानूनों एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति अभियान फेस 5.0 के अंतर्गत महिलाओं व छात्राओं को नए कानूनों एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में निरीक्षक सतेन्द्र पाल सिंह एवं उपनिरीक्षक सुधा रानी द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन

साथ ही महिलाओं को साइबर अपराध, सोशल मीडिया ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए गए तथा हाल ही में लागू हुए नए कानूनों —

- ➔ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)
- ➔ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)

➡ □ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

की जानकारी सरल भाषा में दी गई, ताकि वे अपने अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति सजग रह सकें।

टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई।

थाना देवबंद पुलिस का यह प्रयास समाज में महिला सशक्तिकरण, साइबर जागरूकता एवं कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

* ➡ □ “मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा महिलाओं को नए कानूनों एवं साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरूक”*

* ➡ □ आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना जनकपुरी, जनपद सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु एक विशेष साइबर एवं कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।*

अभियान का नेतृत्व उप निरीक्षक मोनिका यादव एवं पीआरडी स्वाति द्वारा किया गया। टीम ने थाना जनकपुरी क्षेत्र के तकिया जानकनगर, SBD चौराहा, देहरादून चौक, जेलचुंगी, बाजोरिया रोड एवं मंदिर क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं छात्राओं को जागरूक किया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बताया गया कि वे डिजिटल एरेस्टिंग, ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड, और सोशल मीडिया अपराधों से कैसे सुरक्षित रह सकती हैं।

उन्हें सरकार द्वारा संचालित महिला सुरक्षा योजनाओं, सशक्तिकरण कार्यक्रमों एवं बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

महिलाओं व बालिकाओं को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराया गया —

□ 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन

□ 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

108 – एंबुलेंस सेवा

इसके अतिरिक्त उन्हें नए कानूनों —

➡ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)

➡ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)

➡ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

के बारे में जागरूक किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण को बेहतर ढंग से समझ सकें।



दिनांक: 31.10.2025

“मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत थाना गंगोह पुलिस द्वारा छात्र-छात्राओं को नए कानूनों, साइबर सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत एक विशेष साइबर सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह द्वारा थाना प्रांगण में उपस्थित स्कूल के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं नए कानूनों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों एवं बालिकाओं को डिजिटल एरेस्टिंग, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के उपाय, तथा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के संबंध में विस्तार से बताया गया।

साथ ही, सरकार द्वारा बालिकाओं और बच्चों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया —

- ☐ 1090 – वूमैन पावर हेल्पलाइन
- ☐ 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन
- ☐ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- ☐ 108 – एंबुलेंस सेवा

छात्र-छात्राओं को हाल ही में लागू नए कानूनों —

- ➡ ☐ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)
- ➡ ☐ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)
- ➡ ☐ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति सजग रह सकें।



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ “मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा तीन नए कानूनों, साइबर सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूकता”*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत महिला एवं पुरुष सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में थाना प्रभारी महोदय, एसएसआई श्री सुरेश कुमार, एवं एंटी रोमियो टीम प्रभारी उप निरीक्षक देवेन्द्र कुमार के साथ महिला कांस्टेबल नजमा, महिला कांस्टेबल 938 गुंजन, एवं होमगार्ड विनोद कुमार उपस्थित रहे।

टीम द्वारा चाणक्य इंटरनेशनल अकैडमी, रामपुर मनिहारान में जाकर छात्रों, छात्राओं, महिलाओं एवं पुरुषों को डिजिटल एरेस्टिंग, साइबर सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में लोगों को हाल ही में लागू हुए तीन नए कानूनों के बारे में जागरूक किया गया —

➡ □ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) – आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता व तीव्रता हेतु।

➡ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) – जांच एवं अभियोजन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने हेतु।

➡ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) – साक्ष्य प्रणाली में तकनीकी सुधार हेतु।

साथ ही उपस्थितजनों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए तथा साइबर अपराध की शिकायत के लिए उचित माध्यमों की जानकारी दी गई।

लोगों को सरकार द्वारा जारी निम्न हेल्पलाइन नंबरों से भी अवगत कराया गया —

1090 – वूमन पावर हेल्पलाइन

1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

108 – एंबुलेंस सेवा

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस का यह प्रयास समाज में नए कानूनों की जानकारी, साइबर जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं आत्मरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रशंसनीय पहल है।



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

“मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत थाना नकुड़ पुलिस द्वारा महिलाओं को तीन नए कानूनों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति किया गया जागरूक”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर की एंटी रोमियो / मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान महिला उप निरीक्षक सिमरन कमलेश एवं महिला उप निरीक्षक कोमल द्वारा जनक बाजार, सर्राफा बाजार, सदर बाजार, के.एल.जी.एम., मेन बाजार, एवं सरसावा तीराया क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर चेकिंग की गई।

टीम ने महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी तथा पैम्पलेट वितरित कर सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया।

महिलाओं को निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमेन पावर हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध एवं डिजिटल फ्रॉड हेल्पलाइन
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 108 – एंबुलेंस सेवा

साथ ही उपस्थितजनों को हाल ही में लागू हुए तीन नए कानूनों के बारे में भी जागरूक किया गया

—

➡ □ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) – अपराधों की परिभाषा व दंड प्रक्रिया को आधुनिक बनाने हेतु।

➡ □ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) – जांच व अभियोजन की प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु।

➡ □ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) – साक्ष्य प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने हेतु।

टीम ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें और कानूनी सहायता प्राप्त करें।

थाना नकुड़ पुलिस का यह प्रयास महिलाओं में कानूनी साक्षरता, सुरक्षा जागरूकता एवं आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रशंसनीय पहल है।



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
गारी सुरक्षा
गारी सम्मान
गारी स्वावलंबन

* □ थाना फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही — धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार □ *

* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना फतेहपुर पुलिस ने एक शातिर ठग को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। *

* □ घटना का विवरण: *

दिनांक 03.07.2025 को वादिया मुनीसा पत्नी रिजवान निवासी मदीना मस्जिद, छुटमलपुर, थाना फतेहपुर द्वारा थाना उपस्थित होकर तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्तगण — 1. मूसा सिद्दीकी पुत्र नामालूम, पता नामालूम 2. मोहम्मद फैजान पुत्र मोहम्मद असगर निवासी आली की चुंगी, पीर वाली गली नं० 13, थाना मण्डी 3. निसार पुत्र अब्दुल रहमान निवासी हलवाना रोड, कस्बा छुटमलपुर 4. मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद नाजिर निवासी मेहमान सराय, नखासा बाजार 5. आजम पुत्र नामालूम निवासी कमालपुर रोड, छुटमलपुर 6. नावेद प्रधान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नौसरहेड़ी द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लॉट दिलाने के नाम पर वादिया से रुपये हड़पने तथा रुपये/प्लॉट वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गयी थी।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 138/25, धारा 420/406/506/467/468/471 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया था।

* □ ♂ □ पुलिस की तत्परता: *

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। आदेशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.10.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद नाजिर निवासी नखासा बाजार, मेहमान सराय, थाना कोतवाली नगर,

जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।_

* _□ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:_*

मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद नाजिर निवासी नखासा बाजार, मेहमान सराय, थाना कोतवाली नगर, जनपद सहारनपुर

* _□♀□ गिरफ्तारी करने वाली टीम:_*

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा, थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

2. उ०नि० अनिल तेवतिया, थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

3. है०का० सुनील कुमार (नं० 24), थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ “थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत महिलाओं को सशक्तिकरण, नये कानूनों एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक”*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा महिला सशक्तिकरण, नये कानूनों की जानकारी एवं साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के तहत महिला उपनिरीक्षक सिमरन कमलेश, महिला उपनिरीक्षक कोमल एवं पीआरडी निशा द्वारा ग्राम सडौली में महिला चौपाल आयोजित की गई।

चौपाल में महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ — के बारे में बताया गया। साथ ही, बाल मजदूरी न कराने, गुड टच-बैड टच की समझ, एवं महिलाओं के अधिकारों व सुरक्षा से जुड़े नये कानून (BNS, BNSS, BSA) की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त डिजिटल सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, ऑनलाइन ठगी, अनचाहे लिंक, डिजिटल अरेस्ट आदि अपराधों से बचाव हेतु जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में सरकारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

□ 1090 – वूमैन पावर लाइन

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

अंत में महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं तथा समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।



दिनांक: 31.10.2025



“थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत नये कानूनों की जानकारी व साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं के बीच सशक्तिकरण, नये कानूनों की जानकारी व साइबर अपराधों से सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान थाना प्रभारी श्री विनय शर्मा के निर्देशन में एंटी रोमियो टीम व मिशन शक्ति टीम — जिसमें महिला उपनिरीक्षक मिथलेश राठौर एवं होमगार्ड शिवराज शामिल रहे — द्वारा थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थलों ज्योति किरण तिराहा, झंडा तिराहा, रुड़की रोड तिराहा, कलसिया तिराहा, सर्राफा मार्केट छुटमलपुर, सब्जी मंडी छुटमलपुर, पंजाबी मार्केट छुटमलपुर एवं बस स्टैंड पर भ्रमण कर आमजन, विशेषकर महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं — के बारे में बताया गया।

साथ ही गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी न कराने, महिला सुरक्षा एवं अधिकारों तथा नये आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल, अनचाहे लिंक आदि से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

कार्यक्रम के दौरान निम्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमैन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता नंबर
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 31.10.2025

प्रेस नोट

* ➡ □ “थाना बड़गांव पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को तीन नए कानूनों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति किया गया जागरूक”*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना बड़गांव, जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति फेस 5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा व्यापक महिला सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना बड़गांव, उ0नि0 बच्चन सिंह, उ0नि0 भ्रमगिरि हे0का0 आबिद, तथा महिला आरक्षी संगीता द्वारा कस्बा बड़गांव क्षेत्र में महिला चौपाल आयोजित की गई एवं क्षेत्र के प्रमुख स्थलों जैसे —एस.डी. नेशनल पब्लिक स्कूल जडौदा पाड़ा, महाराणा प्रताप चौक, एसबीआई बैंक, देवबंद-बड़गांव अड्डा, सहारनपुर रोड तथा मैन बाजार बड़गांव — में भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया।

महिलाओं व छात्राओं को डिजिटल एरेस्टिंग, तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम) के विषय में विस्तार से बताया गया। साथ ही, साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, एवं साइबर क्राइम से बचाव के उपायों पर जानकारी दी गई।

सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई —

- 1090 – वूमैन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा महिलाओं को जागरूकता संबंधी पंपलेट वितरित किए गए।

थाना बड़गांव पुलिस का यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।



दिनांक: 31.10.2025

“थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत तीन नये कानूनों की जानकारी व साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एंटी रोमियो टीम द्वारा नये आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) की जानकारी व साइबर अपराधों से सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर महिला उपनिरीक्षक सिमरन कमलेश एवं महिला उपनिरीक्षक कोमल द्वारा केल्विन सेंटरल एकेडमी, थाना नकुड़ में छात्र-छात्राओं व अध्यापकों को तीन नये कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को सरल रूप में समझाया गया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी से संबंधित कानून, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक, व ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

इस दौरान पुलिस हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

□ 1090 – वूमैन पावर लाइन

- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता नंबर
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

महिला उपनिरीक्षकों द्वारा उपस्थित छात्राओं व अध्यापकों से उनकी समस्याएं सुनी गईं एवं समाधान हेतु आश्वासन दिया गया।

थाना नकुड़ पुलिस ने संदेश दिया कि —

“महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सहायता हेतु थाना नकुड़ पुलिस सदैव तत्पर है।”



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0
गारी सुरक्षा
गारी सम्मान
गारी स्वावलंबन

* ➡ □ “थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, साइबर जागरूकता एवं तीन नये कानूनों की जानकारी दी गई”*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु संचालित विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान में महिला उपनिरीक्षक दीक्षा तथा महिला कांस्टेबल निकिता (का.सं. 882) एवं महिला कांस्टेबल सविता द्वारा निम्न स्थानों पर जाकर बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक किया गया —

- (A) एसबीआई बैंक, मिर्जापुर
- (B) कस्बा मिर्जापुर
- (C) बड़ा कुआँ, मिर्जापुर
- (D) मुख्य बाजार मिर्जापुर
- (E) मदरसा उदारा इस्लामिया अरबिया उर रसूल, कस्बा मिर्जापुर

टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं व छात्राओं को डिजिटल अरेस्टिंग, ऑनलाइन ठगी, झूठी अफवाहों से बचाव, तथा साइबर फ्रॉड व साइबर क्राइम से सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं — मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि के बारे में भी बताया गया।

महिलाओं को अपने अधिकारों, सुरक्षा व संरक्षण संबंधी नए कानूनों —

- ➡ □ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)
- ➡ □ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)

➡ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

के मुख्य बिंदुओं से भी अवगत कराया गया।

पुलिस टीम ने निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी —

- 1090 – वूमैन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता नंबर
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

इसके अतिरिक्त “नो हेल्मेट – नो फ्यूल” अभियान के बारे में भी जागरूक किया गया तथा लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की गई।



दिनांक: 31.10.2025

“थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत तीन नये कानून, साइबर सुरक्षा एवं नशा मुक्ति के प्रति छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक”

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना गागलहेड़ी, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर थाना अध्यक्ष महोदय, महिला कांस्टेबल श्रुति, एवं महिला कांस्टेबल मनीषा चौहान द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों —

- श्री सत्य कृष्ण इंटर कॉलेज
- सिया राम इंटर कॉलेज
- हरि इंटरनेशनल स्कूल
- हरि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
- कस्बा गागलहेड़ी क्षेत्र

में जाकर छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान टीम ने डिजिटल अरेस्टिंग की झूठी अफवाहों, साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम, तथा ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया।

साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि की जानकारी दी गई।

टीम ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को तीन नये आपराधिक कानूनों —

- ➡ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)
- ➡ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)
- ➡ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

के मुख्य प्रावधानों से अवगत कराया, ताकि युवा वर्ग अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग रह सके।

साथ ही, ऑपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने एवं नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प दिलाया गया।

कार्यक्रम में निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता नंबर
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा



दिनांक: 31.10.2025

-प्रेस नोट-

* ➡ “थाना गंगोह पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं की चौपाल लगाकर किया गया जागरूकता कार्यक्रम — नए कानून, साइबर सुरक्षा व जनकल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी”*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के अंतर्गत एक विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के तहत एंटी रोमियो टीम —

- महिला उपनिरीक्षक खुशबू,
- महिला कांस्टेबल 1179 प्रीति,
- महिला कांस्टेबल अनु,
- PRD आदेशना एवं
- का0 चा0 विकास कुमार

द्वारा कस्बा गंगोह के प्रमुख स्थलों —

- ननौता चौक, कस्बा बाजार, लखनौती तिराहा, बस स्टैंड, मेटाडोल स्टैंड,
- शिव चौक तथा मोहल्ला इलाही बख्श एवं पूरणमल रामलाल डिग्री कॉलेज

में महिलाओं की चौपाल लगाकर उनसे संवाद किया गया।

चौपाल के दौरान महिलाओं से उनकी समस्याएं पूछी गईं और उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं — विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी न कराने की पहल तथा गुड टच-बैड टच की पहचान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

साथ ही तीन नए आपराधिक कानूनों —

- ➡ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)
- ➡ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023)
- ➡ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023)

से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में जागरूक किया गया, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण के प्रति और अधिक सजग बन सकें।

साइबर अपराध जागरूकता के अंतर्गत उपस्थित महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट की अफवाहों, फ्रॉड कॉल्स, अनचाहे लिंक, ऑनलाइन धोखाधड़ी एवं सोशल मीडिया सुरक्षा के विषय में जानकारी दी गई।

टीम द्वारा निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई —

- 1090 – वूमेन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता नंबर

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।

थाना गंगोह पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि —“नशा, अपराध एवं अफवाहों से दूर रहें, साइबर जागरूक बनें और मिशन शक्ति को जन आंदोलन का रूप दें।”



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ थाना नानौता पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत महिलाओं व छात्राओं को नए कानूनों व साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक — आत्मरक्षा व सशक्तिकरण की दी जानकारी*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना नानौता, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान “मिशन शक्ति फेज 5.0” एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के तहत एक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर महिला उप निरीक्षक राधा चौहान, उप निरीक्षक नवीन कुमार, उप निरीक्षक उपेंद्र राणा, उप निरीक्षक जसपाल सिंह, महिला हेड कांस्टेबल पायल तथा महिला कांस्टेबल 270 विनीता द्वारा थाना क्षेत्र के

- रेडिएंट पब्लिक स्कूल देवबंद रोड,
- बाबा सिद्ध इंटर कॉलेज सोना एवं
- अर्जुनपुर क्षेत्र

में छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस टीम द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं को नए कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) की प्रमुख जानकारियाँ दी गईं साथ ही Zero FIR एवं E-FIR की

प्रक्रिया समझाई गई, ताकि महिलाएँ एवं आमजन अपने अधिकारों और कानूनी सहायता के तरीकों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

इसके अतिरिक्त उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को साइबर अपराधों, डिजिटल अरेस्ट की झूठी अफवाहों, फ्रॉड कॉल्स, अनचाहे लिंक, ऑनलाइन ठगी आदि से सतर्क रहने हेतु जागरूक किया गया।

टीम द्वारा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं —

विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं, बाल मजदूरी निषेध, गुड टच-बैड टच की पहचान आदि के बारे में जानकारी दी गई।

साथ ही निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

- 1090 – वूमैन पावर लाइन
- 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
- 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन
- 1930 – साइबर अपराध सहायता नंबर
- 108 – एंबुलेंस सेवा
- 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

बाज़ार में आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को रोककर उनसे वार्ता की गई, उनकी समस्याएँ सुनी गईं एवं उन्हें सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता के प्रति प्रेरित किया गया।



दिनांक: 31.10.2025

* ➡ □ थाना बेहट पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं व पुरुषों को नए कानूनों एवं साइबर अपराधों के प्रति किया गया जागरूक — डिजिटल अरेस्टिंग और आत्मसुरक्षा पर दी विशेष जानकारी*

आज दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को थाना बेहट, जनपद सहारनपुर में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

कार्यक्रम में उप निरीक्षक मनोरमा चौधरी, हेड कांस्टेबल ललिता, कंप्यूटर ऑपरेटर अमित भास्कर, चालक हेड कांस्टेबल अनुज एवं पीआरडी गीता द्वारा ग्राम मांझीपुर एवं आलमपुर कला में भ्रमणशील रहकर चौपाल आयोजित की गई।

टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं व पुरुषों को

➡ □ तीन नए कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) की जानकारी दी गई।

➡ □ डिजिटल अरेस्टिंग की झूठी अफवाहों से सतर्क रहने एवं साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए।

➡ □ सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं — जैसे विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

➡ □ गुड टच-बैड टच, बाल मजदूरी निषेध एवं सुरक्षा संबंधी अधिकारों पर भी चर्चा की गई।

साथ ही साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल्स, अनचाहे लिंक एवं ऑनलाइन ठगी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया तथा सुरक्षा हेतु निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई —

□ 1090 – वूमेन पावर लाइन

□ 1930 – साइबर अपराध हेल्पलाइन

□ 108 – एंबुलेंस सेवा

□ 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

थाना बेहट पुलिस द्वारा यह संदेश दिया गया कि —

“सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है — सजग रहें, जागरूक रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।”